



शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड

31 / 62, राजपुर रोड, देहरादून-248001

E mail - enagarsewauk@gmail.com, दूरभाष - 0135-2742885, फ़ैक्स. 0135.-2742885

पत्राक - 355 / 06 / शा0वि0नि0 / सि0वी0सी0 / 2020-21

दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

विषय:- समस्त नगर निकायों में उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली नियमावली 2015 का अनुपालन ऑन लाईन ई टेण्डर के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि Ease of doing business के अंतर्गत उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली नियमावली 2015 का अनुपालन समस्त नगर निकायों द्वारा ऑनलाईन ई टेण्डर के माध्यम से कराया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में विज्ञापन स्थलों का आवंटन एवं प्रयोग का अधिकार ऑनलाईन ई-टेण्डर के माध्यम से ही कराया जायें। यदि पूरे निकाय या निकाय के किसी भाग के लिये विज्ञापन स्थल/स्थलों का आवंटन किसी संस्था के माध्यम से कराया जाता है तो इन संस्थाओं का चयन भी ऑनलाईन ई-टेण्डर के माध्यम से उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली नियमावली 2015 के अनुसार ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक:-तदैव।

प्रतिलिपि:- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।